



राँची विश्वविद्यालय,
राँची

पत्रांक 13/758/20
सेवा में,

दिनांक 25/11/2020

1. विभागाध्यक्ष, सभी स्नातकोत्तर विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
2. प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाचार्य, सभी अंगीभूत महाविद्यालय, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
3. प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाचार्य, सभी अल्पसंख्यक महाविद्यालय, राँची विश्वविद्यालय, राँची।

विषय:- विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित वेतन निर्धारण के अनुमोदन करने हेतु चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार के पत्र, पत्रांक DHESec2/विविध-6/2020/HTESD- 1217 दिनांक 05.11.2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार सूचित करना है कि वेतन निर्धारण के अनुमोदन करने हेतु सभी विश्वविद्यालय के प्रस्ताव में एकरूपता एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापित छायाप्रति के अभाव में वेतन निर्धारण पर अनुमोदन नहीं हो पा रहा है। निदेशालय द्वारा वेतन निर्धारण के अनुमोदन हेतु प्राप्त सभी प्रस्तावों में एकरूपता के लिए चेक लिस्ट तैयार किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि आपके विश्वविद्यालय विभागों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों का वेतन निर्धारण का प्रस्ताव चेक लिस्ट के अनुसार सभी वांछित दस्तावेजों की छायाप्रति (सत्यापित) के साथ दो प्रतियों के उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि नियमानुकूल वेतन निर्धारण के अनुमोदन पर कार्रवाई किया जा सके।

सभी दस्तावेजों को विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाचार्य सत्यापित कर प्रस्ताव भेजेंगे।

अनुलग्नक:- यथाउपर्युक्त।

विश्वासभाजन

कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची

दिनांक.....

ज्ञापांक

प्रतिलिपि :-

1. वित्त पदाधिकारी, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
2. विशेष कार्य पदाधिकारी (न्या०), कुलाधिपति सचिवालय, राजभवन, झारखण्ड, राँची,
3. निदेशक, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची,
4. उपकुसचिव - I, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
5. उपकुसचिव - II, राँची विश्वविद्यालय, राँची
6. कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्त परामर्शी एवं कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ।


25.11.2020
कुलसचिव

राँची विश्वविद्यालय, राँची



1217

पत्रांक -DHEsoc2/विधिध -6/2020/HTESD-----

झारखण्ड सरकार
उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

पूजना भवन , मेघाल हाउस , ठौरठा , रांची - 834002

प्रेषक :

निदेशक, उच्च शिक्षा,
झारखण्ड, रांची।

सेवा में

कुलसचिव,
रांची विश्वविद्यालय, रांची,
बिनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग,
सिद्धो कान्हु मुर्मु विश्वविद्यालय, दुमका,
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा,
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद,
डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची।

Handwritten notes:
6/11/20
P. Choudhary
7/11/20

रांची, दिनांक - 05/11/2020

विषय :- विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित वेतन निर्धारण के अनुमोदन करने हेतु चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वेतन निर्धारण के अनुमोदन करने हेतु सभी विश्वविद्यालय के प्रस्ताव में एकरूपता के साथ एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसके अभाव में वेतन निर्धारण पर अनुमोदन नहीं हो पा रहा है। विभाग द्वारा वेतन निर्धारण के अनुमोदन हेतु प्राप्त सभी प्रस्तावों में एकरूपता के लिये चेक लिस्ट तैयार किया गया है जो अनुलग्नक-1 के रूप में है।

अनुरोध है कि सभी विश्वविद्यालय वेतन निर्धारण का प्रस्ताव चेक लिस्ट के अनुसार प्रत्येक कर्मी/शिक्षक के सभी वांछित दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि नियमानुकूल वेतन निर्धारण के अनुमोदन पर कार्रवाई किया जा सके।

अनु०-अनुलग्नक 1

विश्वासभाजन,

Handwritten signature

(ए० मुखर्जी)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

Handwritten notes:
756
6/11/20
7/11/2020

अनुसूचक -1

मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभाग/ अंगीभूत महाविद्यालय/ अल्पसंख्यक महाविद्यालय के शिक्षकों/पदाधिकारियों / शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन निर्धारण हेतु जांच प्रपत्र :- विभाग/महाविद्यालय विषय/शाखा ----

1.	नाम :-	
2.	पदनाम :-	
3.	जन्म तिथि :-	
4.	योग्यता :-	
5.	सेवा में योगदान की तिथि/ नियुक्ति का स्रोत एवं वेतनमान :-	
6.	यदि संबंधित कर्मों की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर हुई है तो मृत सेवक के विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन निर्धारण संबंधित पत्र की प्रति	
7.	स्वीकृत पद (पत्रांक: दिनांक-) विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन निर्धारण के पद की संख्या - रिक्त पद संख्या - प्रोन्नत/नियुक्ति के समय रिक्त पदों की संख्या -	
8.	वेतन निर्धारण का कारण (वेतन पुनरीक्षण/प्रोन्नति/ Date Shifting/ न्यायालय का आदेश)	
9.	पद का नियुक्ति सम्बन्धी विवरण	
10.	नियुक्ति पत्र की तिथि (पत्रांक: दिनांक-)	
11.	सेवा संपुष्टि की तिथि	
12.	प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना/प्रोन्नति की तिथि	
13.	झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा /कर्मचारी चपन आयोग की अनुशंसा /विश्वविद्यालय की अनुशंसा	
14.	अभिषेद द्वारा संपुष्टि	
15.	स्वीकृत वेतनमान	
16.	पूर्व में प्राप्त वेतनमान (यदि प्रोन्नति का मामला है)	
17.	परिनियत समिति द्वारा वेतन निर्धारण (विहित प्रपत्र में)	
18.	गणना तालिका वेतनमान/ग्रेड पे/ए० जी० पी०	
19.	सेवा पुस्तिका (सत्यापित प्रति)	
20.	यदि किसी बाद से सम्बंधित हो तो उसकी विवरणी	

प्रमाणित किया जाता है कि जाँच प्रपत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएँ सही हैं। यदि भविष्य में गलत वेतन निर्धारण पाया जाता है तो उसकी वसूली संबंधित कर्मों से एकभूत वसूली कर ली जायेगी।

कुलसचिव